

27-10-21

अज अदालत फ़द अहकाम (नियम 26)  
उपरखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर  
बनाम सरकार  
किसा गुकदमा 136 एल आर एक्ट नम्बर 114 सन् 2021  
जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी किए
27.10.21	<p>तहसीलदार भूअ./नायब तहसीलदार <u>सिमेजा कोठी</u>                      रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2021/285                      दिनांक 27.10.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग                      अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत २ भाग 316                      में प्रार्थी के नाम चक 63 N.P. की जमाबंदी सम्बत                      2076-2079 के खाता सं 50 में  <u>उर्मिला पुत्री शमोपकाश 236</u> हिस्सा  <u>3541</u>                      के स्थान पर <u>उर्मिला पुत्री शमोपकाश</u>  <u>236</u> हिस्सा  <u>3541</u>                      की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंघा की हैं।                      प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प                      कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार                      दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति                      जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब                      तहसीलदार <u>सिमेजा कोठी</u> रायसिंहनगर की अनुशंघा                      के आधार पर उनके चक 63 N.P. तहसील                      रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत 2076-2079                      के खाता सं 50 में <u>उर्मिला पुत्री</u>  <u>शमोपकाश 236</u> हिस्सा  <u>3541</u>                      के स्थान पर  <u>उर्मिला पुत्री शमोपकाश 236</u> हिस्सा  <u>3541</u>                      की दुरुस्ती करने                      के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी                      अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय                      का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।                      पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।                      आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपरखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

